# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –37 / 2026 (आव०व०अधि०)

GCMSNO. 2026/141

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म श्री बालाजी स्वीट्स प्रोप्राइटर मदनलाल पुत्र हरदेव जाति सिसोदिया, निवासी दरा, कनवास कोटा

––अप्रार्थी.

**प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।**

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

## निर्णय

दिनांकः– 05.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी के आदेशाानुसार गठित प्रवर्तन दल द्वारा दिनांक 24.2.2026 को कनवास के दरा क्षैत्र में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान फर्म बालाजी स्वीट्स का औचक निरीक्षण एवं जांच कार्य संपादित किया गया । निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर मदनलाल पुत्र हरदेव सिसोदिया द्वारा घरेलू उपयोग हेतु रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से मिठाई आदि बनाकर व्यावसायिक लाभ हेतु विक्रय करने में किया जा रहा था । मौके पर की गई जांच में आरोपी के आधिपत्य से एचपीसीएल कंपनी के 02 अदद घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए । उक्त सिलेंडरों में भरी हुई गैस का कुल वजन 15 किलो 105 ग्राम पाया गया । निरीक्षण के दौरान जब संबंधित व्यक्ति मदनलाल से उक्त घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के संबंध में वैध दस्तावेज, लाइसेंस या खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा कोई भी संतोषप्रद उत्तर अथवा वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया । पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा आर्थिक लाभ के लिए घरेलू सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक श्रेणी में किया जा रहा था । उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनिपयम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । अतः प्रवर्तन निरीक्षक विशाल मीणा द्वारा उक्त 02 अदद घरेलू गैस सिलेंडरों को मदनलाल के कब्जे से मौके पर जब्त कर कब्जेराज लिया गया । चूंकि जब्तशुदा सामग्री अत्यधिक ज्वलनशील एवं संवेदनशील प्रकृति की है, अतः सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से जब्तशुदा सिलेंडरों को सुपुर्दगीनामा तैयार कर अशोक जैन प्रतिनिधि अगन गैस एजेंसी को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया ।

2. जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

| क. सं. | सरकारी तेल कंपनी का नाम | सिलेण्डर का एस आर कमांक | सील्ड / अनसील्ड | श्रेणी भार 14.2 / 19.0 | सिलेण्डर पर दर्ज डेयर वजन | सिलेंडर का एलपीजी के साथ वजल | शुद्व गैस का भार किग्राम में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPCL | 317491 | अनशील्ड | 14.2 | 15.9 | 24.95 | 9.05 |
| 2 | HPCL | 0796949 | अनशील्ड | 14.2 | 15.5 | 21.600 | 6.100 |

उपरोक्त वर्णित जब्तशुदा वस्तुएं जो कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर है, का व्यावसायिक उपयोग करना जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर उल्लंघन है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत उक्त 2 घरेलू गैस सिलेंडरों को मय गैस राजसात करने का आदेश प्रदान करें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । उभयपक्ष को सुना गया ।
4. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना मानते हुए जब्तशुदा कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा क्षमता) को मय गैस के राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी हमेशा वाणिज्यक सिलेण्डर ही काम मे लेते है किन्तु जब रसद विभाग की टीम आई उस वक्त गैस सिलेण्डर खतम होने व कॉमर्शियल सिलेण्डर नहीं मिलने से जानकारी के अभाव में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करना बताया है । इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से कोई दुरूपयोग किया जाना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में जाहिर नहीं आया है ओर ना ही कालाबाजारी करना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की प्रार्थना पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को लोटाया जाना उचित पाते है ।
6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर 02 वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलक्टर
कोटा